**सिडबी एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर की**

**इलेक्ट्रोमकैनिकल संस्थापनाओं के वार्षिक परिचालन एवं रख-रखाव संबंधी संविदा**

बैंक के प्लॉट सं. एल-3, जयदेव विहार, भुवनेश्वर स्थित प्रशिक्षण संस्थान की इलेक्ट्रोमकैनिकल संस्थापनाओं के वार्षिक परिचालन एवं रख-रखाव संबंधी संविदा के लिए इच्छुक प्रतिष्ठित एजेंसियों/परामर्शदाताओं/प्रोफेशनलों से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। संस्थान का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 37,000 वर्गफुट है, जिसमें बेसमेंट, भू-तल और चार तल शामिल हैं। इसमें एक सम्मेलन/बैठक कक्ष, दो प्रशिक्षण सत्र कक्ष, एक कंप्यूटर लैब, एक पुस्तकालय, निदेशक का कक्ष, 2 संकाय कक्ष, एक सर्वर कक्ष, एक रसोईघर, एक भोजनालय तथा तीसरे और चौथे तल पर 22 अतिथि कक्ष आदि निर्मित हैं। कार्य का विस्तृत स्वरूप और मात्रा अनुबंध-I एवं II में दी गई है। कार्य का स्वरूप संक्षेप में निम्नवत होगाः-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क** | **कार्य का स्वरूप** | |
| 1 | लिफ्ट का रख-रखाव | एलिवेटर का परिचालन, आपात्कालीन स्थितियों को संभालना तथा लिफ्ट को नुकसान से बचाने के लिए भारी सामान न ले जाने देना। |
| 2 | विद्युत संस्थापना संबंधी कार्य | अर्थिंग संबंधी अपेक्षा की पूर्ति एवं रख-रखाव |
| 3 | ट्रांस्फॉर्मर और उप-केन्द्र | विद्युत उपकरणों की संस्थापना एवं रख-रखाव |
| 4 | एमर्जेंसी लाइटें | रख-रखाव |
| 5 | स्विचगियर, केबल व फिक्स्चर आदि | बज-बार चैम्बर, फिटिंगें, केबलें एवं केबल जोड़, समस्या-समाधान चार्ट आदि। |
| 6 | डीजी सेट | डीजी सेट का परिचालन व रख-रखाव |
| 7 | अग्नि-सुरक्षा प्रणाली | वेट-राइजर सिस्टम- आवधिक रख-रखाव |
| 8 | स्प्रिंकलर प्रणाली | आवधिक रख-रखाव |
| 9 | फायर-ब्रिगेड इनलेट, फायर पाइटिंग पम्प संस्थापनाएं, अग्नि-शामक, अग्नि-सूचक अलार्म तथा सार्वजनिक घोषणा प्रणाली | आवधिक रख-रखाव |
| 10 | एयर कंडीशन प्रणालियाँ | परिचालन, मॉनीटरिंग एवं आवधिक रख-रखाव |
| 11 | सौर उपकरण प्रणालियाँ | परिचालन, मॉनीटरिंग एवं आवधिक रख-रखाव |
| 12 | वाटर पम्प | परिचालन, मॉनीटरिंग एवं आवधिक रख-रखाव |
| 13 | स्विचों, सॉकेटों (पावर/ टेलीफोन/ डाटा), आंतरिक/ बाह्य लाइट फिटिंगों, लिफ्ट लाइटों की मरम्मत व बदलना (चोकों, कैपेसिटरों, फ्यूज, लैंपों, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फिटिंगों सहित)। | |

टिप्पणीः संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह पूर्व सूचना देकर साइट कौ दौरा कर ले और निविदा प्रस्तुत करने से पहले काम की मात्रा व स्वरूप को पूरी तरह समझ ले तथा साइट की स्थितियों से पूरी तरह परिचित हो जाए। कृपया नोट किया जाए कि उपर्युक्त काम का स्वरूप निर्देशी मात्र है और सिडबी के निर्णयानुसार उसमें बदलाव हो सकता है। यह पूरी तरह संविदाकर्ता का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि परिचालन, मॉनीटरिंग, रख-रखाव तथा मरम्मत के काम सर्वोच्च मानकों के अनुरूप किए जाएँ। संविदाकर्ता द्वारा संस्थान के अनुमोदन से उचित सारिणी तथा अभिलेख/रजिस्टर/गुणवत्ता प्रबंधन फॉर्म रखे जाएँगे।

पूर्व-अर्हता मानदंड तथा निबंधन व शर्तें क्रमशः अनुबंध I और अनुबंध I के अनुलग्नक में दिए जा रहे हैं। साथ ही, वे ओसीएचसी बिल्डिंग, चौथा तल, जनपथ, भुवनेश्वर स्थित सिडबी-शाखा कार्यालय में भी 19 नवम्बर 2013 के बाद सभी कार्य-दिवसों में (शनिवार, रविवार और छुट्टी का दिन छोड़कर) 945 बजे से 1730 बजे के मध्य उपलब्ध हैं।

बोलियाँ नीचे विनिर्दिष्ट दो भागों में प्रस्तुत की जानी चाहिएः-

**भाग I (तकनीकी बोली) सीलबंद लिफाफे में**, जिसमें एजेंसी के संघटन, विद्युत एवं अन्य संबद्ध सेवाओं के अनुभव, विद्युत मंडल/ प्राधिकरण से सूचीबद्धता/ प्रमाणन/ अनुज्ञप्ति, वार्षिक टर्नओवर, आय-कर मूल्यांकन आदि के विवरण, तत्संबंधी दस्तावेज़ी प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

**भाग II (वित्तीय बोली) सीलबंद लिफाफे में**, जिसमें इलेक्ट्रोमकैनिकल संस्थापनाओं के वार्षिक परिचालन एवं रख-रखाव की सेवा प्रदान करने के लिए (निर्धारित प्ररूप) में वित्तीय बोली रखी गई हो।

“भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक” के पक्ष में आहरित और भुवनेश्वर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश के ज़रिए रु. 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) की बयाना जमानत राशि (प्रतिदेय) भाग I के साथ प्रस्तुत की जाए। इसके जमा नहीं किए जाने पर तकनीकी बोली आगे मूल्यांकन हेतु अर्ह नहीं होगी।

प्रस्तुत की जानेवाली कोटेशन “महाप्रबन्धक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ओसीएचसी बिल्डिंग, चौथा तल, जनपथ, भुवनेश्वर” को संबोधित होनी चाहिए और उन पर “**सिडबी एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर की इलेक्ट्रोमकैनिकल संस्थापनाओं के वार्षिक परिचालन एवं रख-रखाव संबंधी संविदा**” अंकित होना चाहिए। कोटेशन उनको अधिकतम 04 दिसंबर 2013 के 1500 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। जो कोटेशन विनिर्दिष्ट पद्धति और प्रारूप में प्राप्त नहीं होंगी, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। तकनीकी बोलियाँ उसी दिन 1530 बजे खोली जाएँगी। पात्र बोलीकर्ताओं की मूल्य-बोलियाँ 06 दिसंबर 2013 को 1700 बजे अथवा बैंक द्वारा तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद निश्चित की गई किसी उपयुक्त तारीख/ समय पर खोली जाएँगी। इच्छुक पार्टियाँ कृपया बोलियों के खोलने के समय वहाँ उपस्थित होने का कष्ट करें। किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

**महाप्रबन्धक**

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**

**ओसीएचसी बिल्डिंग, चौथा तल**

**जनपथ, भुवनेश्वर**

**अनुबंध I**

**पूर्व अर्हता मानदंड**

1. एजेंसी एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी/पंजीकृत तकनीकी मानवशक्ति आपूर्तिकर्ता /औद्योगिक परामर्शदाता / बिजली ठेकेदार होनी चाहिए [**पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें**]।
2. एजेंसी को कवरिंग नोट में उल्लिखित सेवाएं प्रदान करने का, अधिमानतः प्रतिष्ठित संगठनों जैसे - अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / उपक्रमों और निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को उक्त सेवाएं प्रदान करने का, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3. एजेंसी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान रु. 50 लाख का औसत कुल कारोबार हासिल कर लिया हो [**संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रतियां संलग्न करें**]।
4. एजेंसी के पास अपेक्षित लाइसेन्स हो / एजेंसी यथा प्रयोज्य राज्य / केंद्र सरकार के बिजली विभाग(गों) में पंजीकृत हो। [ **पंजीकरणों की प्रतियां संलग्न करें** ]
5. एजेंसी आयकर निर्धारिती होनी चाहिए जिसने कि निर्धारण वर्ष 2010, 2011 और 2012 की आयकर विवरणी दाखिल की हो [**पैन की प्रति तथा उक्त निर्धारण वर्षों के दौरान दाखिल विवरणियों की प्रतियाँ संलग्न करें**]। यदि एजेंसी को आयकर अदा करने से छूट प्राप्त हो, तो आयकर विभाग से प्राप्त छूट प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।
6. एजेंसी का कम से कम पिछले तीन वर्षों से भुवनेश्वर में एक स्थानीय कार्यालय होना चाहिए।
7. एजेंसी ने पिछले एक वर्ष में 8 लाख रुपये प्रति वर्ष मूल्य का कम से कम 1 इसी प्रकार का कार्य अथवा पिछले 3 वर्ष में 5 लाख रुपये प्रति वर्ष मूल्य के 2 इसी प्रकार के कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हों (**ग्राहक से प्राप्त कार्य आदेशों अथवा कार्यपूर्णता पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें**)। एएमसी के निबंधन एवं शर्तें **परिशिष्ट** में दिए गए हैं।

उक्त पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने वाली तथा परिशिष्ट में दिए गए निबंधन एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत एजेंसियाँ **“तकनीकी बोली”** एक पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें, जिस पर **“ ‘सिडबी एमएसएमई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर में विद्युत-यांत्रिक संस्थापनाओं की एएमसी’ हेतु तकनीकी बोली”** अंकित होना चाहिए।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**अनुबंध I का परिशिष्ट क**

**संविदा की सामान्य निबंधन एवं शर्तें**

1. निविदाएँ मूल्य संबंधी बोली खुलने की तारीख से 60 दिन के लिए वैध रहेंगी।
2. असफल बोलीकर्ताओं की बयाना राशि निविदा का अंतिम निर्णय हो जाने के बाद वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीकर्ताओं की बयाना राशि रोक ली जाएगी और जमानत राशि के प्रति समायोजित की जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीकर्ता बैंक के प्रस्ताव पर कार्य करने से इनकार करता है और/अथवा निविदाएं खुलने के बाद अपने कोटेशन को वापस लेता है /संशोधित करता है अथवा कार्य आरंभ करने में असफल रहता है, तो बयाना राशि, बोलीकर्ता को कोई नोटिस दिए बिना, जब्त हो जाएगी और इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मरम्मत कार्य /ब्रेकडाउन के संबंध में तत्परतापूर्वक सभी आपात कालें अटैंड की जाएं /अन्य सेवा एजेंसियों /मूल उपकरण विनिर्माताओं से समन्वय रखा जाए।
4. ठेकेदार सभी विद्युत तथा यांत्रिक मदों तथा फर्नीचर, उपकरण, फिक्सचर जैसी आंतरिक मदों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार पाक्षिक आधार पर संबंधित रिपोर्टें बनाएगा तथा प्रभारी-अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
5. पर्यवेक्षक, कार्य के लिए दैनिक लॉग शीट रखेगा और ठेके हेतु भुगतान का दावा करते समय उसे प्रतिमाह बिलों के साथ प्रस्तुत करेगा।
6. **ठेकेदार के कर्मचारी**

इस एएमएसी के लिए, ठेकेदार निम्नवत **योग्यताप्राप्त तथा अनुभवी कर्मचारियों,** जिन्हें विद्युतयांत्रिक संस्थापनाओं के परिचालन और रखरखाव का **कम से कम 3 वर्ष का अनुभव** हो, की सेवाएँ लेगा :

1. एक योग्यताप्राप्त विद्युत डिप्लोमाधारक सामान्य शिफ्ट के लिए तथा आपात स्थिति में कॉल आधार पर
2. दो सर्टीफाइड / लाइसेन्स्ड इलेक्ट्रीशियन दो शिफ्ट के लिए (प्रत्येक शिफ्ट में एक), पूर्वाह्न 6.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक तथा अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 10.00 बजे तक और आपात स्थिति में कॉल आधार पर
3. ठेकेदार से अपेक्षित होगा कि वे प्रति माह अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान चेक से करें और उक्त चेक / भुगतान की प्रति परवर्ती माह के बिल के साथ संलग्न करें। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे प्रति माह बिल के साथ वचन पत्र (निविदा के साथ संलग्न प्ररूप के अऩुसार) प्रस्तुत करें।

अन्य सेवाएँ :

1. सिडबी यदि चाहे, तो उक्त कार्य को कार्यक्रमानुसार पूरा करने हेतु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए ठेकेदार को सूचित कर सकता है। ऐसी स्थिति में आनुपातिक भुगतान देय होगा।
2. ठेकेदार परिचय पत्र देगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्मिक अपने परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखेंगे।
3. अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक / देयों का भुगतान करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। किसी स्थानीय या केंद्रीय कानून के उल्लंघन से उत्पन्न देयताएं, सिडबी पर अधिकार और देयताओं का किसी भी तरीके से अतिक्रमण किए बिना, ठेकेदार का दायित्व होंगी।
4. ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए जाने वाले कर्मचारी अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य तथा चरित्र, उपयुक्‍त, व्‍यवहारकुशल, आज्ञाकारी तथा उनके कार्य में कुशल होने चाहिए। वे सदैव मोबाइल फ़ोन पर उपलब्‍ध रहने चाहिए तथा उन्‍हें ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर ही मोबाइल फ़ोन उपलब्‍ध कराया जाना चाहिए। इन अभ्‍यर्थियों का चयन/साक्षात्‍कार करने का अधिकार सिडबी के पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही, यदि उनका कार्य-निष्‍पादन संतोषजनक न पाया जाए तो ठेकेदार को उक्‍त जनशक्ति को प्रतिस्‍थापित करना होगा।
5. ठेकेदार जिन कर्मचारियों को काम पर रखेगा, उन सभी कर्मचारियों के पूर्ण ब्‍यौरे सहित चार्ट कार्य के प्रारंभ में ही प्रस्‍तुत करना होगा तथा यदि समय-समय पर उनमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसके बारे में सिडबी को सूचित करना होगा।
6. ठेकेदार के कर्मचारियों को अधिमानत: हिन्‍दी का ज्ञान होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा अपने कामगारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सिडबी जिम्‍मेदार नहीं होगा।
7. ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कामगारों के काम के घण्‍टों तथा दिनों को सिडबी की अत्‍यावश्‍यकताओं तथा ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्‍त रूप से समायोजित किया जाएगा।
8. सिडबी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार द्वारा सिडबी में ठेके के अंतर्गत लगाए/नियुक्त किए गए किसी भी विशेष कामगार/स्‍टाफ़ की सेवाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्‍त कर सकेगा।
9. यदि कोई कर्मचारी सिडबी की राय में कदाचार का दोषी हो अथवा अन्‍य किसी प्रकार से अयोग्‍य हो अथवा सेवा हेतु अनुपयुक्‍त हो, तो ठेकेदार द्वारा उस कर्मचारी को काम से हटाना होगा। ठेकेदार द्वारा उन सभी दावों के प्रति सिडबी को बीमित करके रखा जाएगा, जो हाउसकीपिंग व्‍यवस्‍थाओं के उद्देश्‍य से काम करते समय उसके कर्मचारियों के दुर्घटनाग्रस्‍त होने या घायल होने की स्थिति में, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, अथवा उसके नियमों के तहत, या किसी विधि के तहत या नियमों के तहत क्षतिपूर्ति का दावा करेगा। अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक व अन्‍य देयताओं त‍था साथ ही, उनके द्वारा की गई भूल/चूक के लिए, ठेकेदार स्‍वयं अकेले ही जिम्‍मेदार होगा।
10. ठेकेदार के कामगारों द्वारा की जाने वाली किसी-भी चूक के मामले में, ऐसे स्‍टाफ़ के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा ही उपयुक्‍त कार्रवाई की जाएगी। यदि चूककर्ता के विरुद्ध इस प्रकार के कदम उठाने में ठेकेदार असफ़ल रहता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार तथा संबंधित कामगार स्‍टाफ़ के विरुद्ध कोई भी उपयुक्‍त/विधिक कार्रवाई कर सकेगा।
11. ठेकेदार के कामगारों के लिए आवासीय व्‍यवस्‍था सिडबी द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।
12. यदि कभी, ठेकेदार द्वारा नियुक्‍त किए गए स्‍टाफ़ की लापरवाही के कारण कार्यालय से किसी वस्‍तु की चोरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसी चूक के लिए ठेकेदार जिम्‍मेदार होगा तथा उसकी राशि, यदि कोई हो, तो उसकी वसूली, ठेकेदार द्वारा प्रस्‍तुत किए जाने वाले बिल के निपटान के दौरान ठेकेदार से की जाएगी।
13. यदि कभी कोई अवज्ञा, दुर्व्यवहार या चोरी की घटना होती है, तो बैंक द्वारा सूचित किए गए ऐसे व्‍यक्ति को ठेकेदार तत्‍काल प्रभाव से सेवा से हटा देगा तथा इससे होने वाली रिक्‍ति को किसी उपयुक्‍त व्‍यक्ति से भरेगा।
14. ठेकेदार द्वारा केवल ज्ञात पूर्व इतिहास वाले स्टाफ़ की तैनाती के सभी प्रयास किए जाएंगे तथा यह नोट किया जाए कि ठेकेदार द्वारा नियुक्‍त किए गए स्‍टाफ़ के सभी दुष्‍कर्मों के लिए ठेकेदार ही जिम्‍मेदार होगा।
15. ठेकेदार द्वारा अपने सभी स्‍टाफ़ सदस्‍यों की तैनाती से पूर्व उनके चरित्र के बारे में, उनके क्षेत्र में निवास करने वाले दो व्‍यक्तियों द्वारा दिए गए संदर्भों सहित, उनके स्‍थाई पते सिडबी में प्रस्‍तुत करने होंगे, ताकि जब भी कभी आवश्‍यक हो, सिडबी द्वारा उन्‍हें खोजा जा सके।
16. इस ठेके की अवधि के दौरान इसकी लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी। यह ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा ठेकेदार द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य-निष्‍पादित किए जाने पर, ठेका-लागत में 10% की वृद्धि पर इन्‍हीं शर्तों व निबंधनों पर एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा।
17. अतिरिक्‍त छोटी मरम्‍मतें/प्रतिस्‍थापन कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए किसी मजदूरी/लेबर का भुगतान नहीं किया जाएगा, क्‍योंकि इसे उद्धत दरों/कोटेड रेट्स् में शामिल माना गया है। इसके लिए लगने वाली सामग्रियों/मटेरियल की लागत, यदि कोई हो, का भुगतान प्रतिपूर्ति आधार पर तथा बाज़ार से सत्‍यापन करने के बाद ठेकेदार को किया जाएगा, बशर्ते इसके लिए पक्‍का बिल/कैश मेमो प्रस्‍तुत किया गया हो। इस प्रकार के कार्य, ठेकेदार द्वारा सिडबी से विधिवत् अनुमोदन प्राप्‍त करने के बाद ही किया जाएगा। इन सभी मामलों में, सिडबी का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार के लिए बाध्‍यकारी होगा।
18. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को आवश्‍यक औज़ार-बॉक्‍स तथा मापन/परीक्षण औज़ार/उपकरण प्रदान कराएगा।
19. ठेकेदार द्वारा अपने प्रत्‍येक कर्मचारी को दो जोड़ी वर्दी तथा जूते उपलब्‍ध कराए जाएंगे।

11. ठेकेदार की जिम्‍मेदारियां – लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन

1. ठेकेदार को संगत श्रम विभाग तथा विद्युत विभाग द्वारा स्‍थापनाओं को चलाने के लिए लागू किए गए *ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्‍मूलन) अधिनियम* के अंतर्गत स्‍वयं अपनी लागत पर वांछित लाइसेंस प्राप्‍त करना होगा। इस प्रकार की स्‍थापनाओं के संचालन के लिए निर्धारित नियमों तथा विनियमों में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले किसी-भी उल्‍लंघन के लिए सिडबी किसी-भी प्रकार से जिम्‍मेदार नहीं होगा। ठेकेदार को, संबंधित राज्‍य निकाय के रजिस्‍ट्रार कार्यालय में रजिस्‍टर्ड होना चाहिए तथा उसे राज्‍य श्रम/भारत सरकार (श्रम मंत्रालय) के नियमों तथा विनियमों और इस प्रकार के ठेके पर लागू कार्य संविदा अधिनियम, न्‍यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्‍य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्‍य बीमा/ईएसआई आदि सहित अन्‍य सभी सांविधिक अधिनियमों/विनियमों व नियमों का पालन करना होगा तथा पूर्वोक्‍त नियमों, विनियमों तथा सरकार व अन्‍य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, विनियमों आदि के प्रति ठेकेदार की लापरवाही या गैर-अनुपालन से उत्‍पन्‍न होने वाले जोखिमों व क्षतियों के प्रति प्रधान नियोक्‍ता (सिडबी) को बीमित करके रखना होगा।
2. ठेकेदार, इस कार्य के लिए उसके द्वारा तैनात किए गए सभी पुरुषों/महिलाओं को सर्व जोखिम पॉलिसी, कामगार क्षतिपूर्ति बीमा (न्‍यूनतम रु.2 लाख प्रतिव्‍यक्ति) में कवर करेगा। ये बीमा पॉलिसियां संयुक्‍त नाम में होनी चाहिए तथा इस कार्य को लेने से पहले उसकी प्रतियां बैंक में प्रस्‍तुत करनी होंगी।
3. ठेकेदार द्वारा यह नोट किया जाए और अपने सभी कामगारों के ध्‍यान में लाया जाए कि यह विशुद्ध रूप से एक कार्य-ठेका है तथा उसके द्वारा नियोजित किए गए कामगार एक वार्षिक ठेके पर कार्य कर रहे हैं तथा इससे उसके लिए या उसके कामगारों के लिए सिडबी में रोजगार प्राप्‍त करने / कार्य-अवसर प्राप्‍त करने के रूप में नहीं लिया जाएगा।

**12. किराये के अधिकार**

(i) ठेकेदार को संविदा की अवधि के दौरान उपयुक्‍त स्‍थान दिया जाएगा, जिसका उपयोग संविदा के अनुसार सिडबी को सेवा उपलब्‍ध कराने हेतु सामग्री रखने के लिए किया जायेगा। इस प्रकार उपलब्‍ध कराए गए स्‍थान का उपयोग केवल संविदा के अंतर्गत कर्तव्यों के निष्‍पादन हेतु ही किया जाएगा तथा किसी अन्‍य उद्देश्‍य हेतु नहीं किया जाएगा । साइट पर सामग्री का भण्डारण एजेंसी के अपने जोखिम पर किया जाएगा ।

(ii) यहां दी गई किसी भी बात से, बैंक के कार्यालयीन परिसर में या सिडबी के अन्‍य सेवाक्षेत्रों में ठेकेदार के पक्ष में किराएदार के कोई अधिकार सृजित नहीं होगे । सिडबी इस ठेके के समापन के प्रभावस्‍वरूप, सिडबी के परिसर तथा ठेके के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा सेवित अन्‍य क्षेत्रों का निरपेक्ष रूप से कब्‍जा प्राप्‍त कर सकता है । ठेकेदार किसी अन्‍य व्‍यक्ति या संस्‍था को ठेके के लाभ या कार्यभार किसी भी रूप में नहीं सौंपेगा या अंतरित करेगा । ठेकेदार के कर्मियों को कार्यस्‍थल पर ठहरने की अनुमति नहीं होगी ।

13. **सेवा के मानक**

जब भी सेवा /रखरखाव की गुणवत्‍ता मानक स्‍तर से निम्‍न पाई जाएगी, तो बैंक स्‍वविवेक के अनुसार उपयुक्‍त राशि की कटौती (दंडराशि सहित, यदि जरूरी हो) बिल में से करेगा और ठेकेदार को सूचित करेगा तथा सिडबी का निर्णय अंतिम होगा । लगातार असंतोषजनक सेवा अथवा संविदा की शर्तों को सिडबी के संतोष के अनुसार पूर्ण करने में ठेकेदार के असफल रहने पर, सिडबी ठेकेदार को कोई पूर्वसूचना दिए बिना इस संविदा को समाप्‍त कर सकता है तथा ठेकेदार ऐसे समापन के फलस्‍वरूप सिडबी या इसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं कर सकेगा ।

**14** संविदा समाप्‍त होने पर ठेकेदार द्वारा सिडबी परिसर खाली किया जाना

संविदा समापन के तत्‍काल बाद, ठेकेदार व इसके कर्मी परिसर को शांतिपूर्ण रूप से खाली करेंगे और सिडबी की सभी वस्‍तुएं, उपकरण, फर्निचर एवं अन्‍य जुडनार व उनकी अभिरक्षा में रखी अन्‍य सामग्री सिडबी को सौंपेगे तथा अपनी सभी सामग्री भंडारकक्ष से हटाएंगे । ऐसा करने से चूक की स्थिति में, सिडबी को बैंक के परिसरब्‍लॉक में प्रवेश करने व इसका कब्‍जा लेने तथा इसे तालाबंद करने या उसके सामान, जहां भी पडे हों, को हटाने तथा इसे बिक्री द्वारा या अन्‍यथा निपटान करने का हक रहेगा और इसमें किसी क्षति हेतु बैंक उत्तरदायी नहीं रहेगा । बैंक के अधिकारों का उपयोग करने, किसी भी समय बैंक की ओर से ठेके के अंतर्गत अपने किसी अधिकार का उपयोग करने में हुई भूलचूक की स्थिति में, किसी भी तरह से शर्तों की वैधता या उसका प्रभाव तथा अपने अधिकारों के प्रवर्तन के सिडबी के अधिकार समाप्‍त नहीं होते हैं ।

**15. संविदा का शीघ्र समापन**

ठेकेदार या उसके किसी स्‍टाफ द्वारा गंभीर दुर्व्यवहार, चोरी, डकैती, नैतिक भ्रष्‍टता, बैंक के परिसर के दुरुपयोग आदि की स्थिति में, सिडबी ठेकेदार को कोई पूर्वनोटिस दिए बिना ठेके को समाप्‍त कर सकता है तथा ऐसे समापन के परिणामस्‍वरूप ठेकेदार सिडबी या इसके किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई दावा नहीं कर सकेगा ।

**16. बिलों का निपटान**

ठेकेदार प्रत्‍येक माह के लिए अलग से बिल प्रस्‍तुत करेगा । भुगतान, यथासंभव, बिल प्रस्‍तुत करने के 10 दिनों के भीतर किया जाएगा, बशर्ते बिल नियमानुसार हों । ये भुगतान करते समय सिडबी निम्‍नांकित कटौतियां करेगा -

i) सरकारी नियमों के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी ।

ii) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा सिडबी को हुई किसी भी क्षति/हानि की समतुल्‍य राशि ।

iii) कोई अन्‍य प्रभार (दांडिक राशियां व अन्‍य कटौतियां आदि.)

iv) सिडबी के पास गणितीय त्रुटियों या अन्‍य त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा बैंक उपयुक्‍त और ठीक समझे । यह समायोजन ठेकेदार को स्‍वीकार्य और बाध्‍यकारी होंगे ।

**17.**  विवादों का निपटान

इस ठेके या इससे संबंधित या कार्यक्षेत्र, इसके अर्थ या इसमें दिए गए पदों के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले या तत्‍संबंधी सभी प्रश्‍न, विवाद तथा/ अथवा मतभेद, महाप्रबंधक, प्रशिक्षण केन्‍द्र को संदर्भित किए जाएंगे तथा उनका निर्णय अंतिम व बाध्‍यकारी होगा ।

**18. दंड और जुर्माने**

* 1. यदि मासिक रिपोर्टें (किए गए कार्य की) निर्धारित समय में, अर्थात प्रतिमाह की 5वीं तिथि तक, नहीं प्रस्‍तुत की गईं, तो बिल में से 5% की दांडिक राशि काटी जाएगी । ठेकेदार को अपने बिल समय से प्रस्‍तुत करने चाहिए ।

(ii) ठेकेदार द्वारा उपलब्‍ध कराए गए कर्मीस्‍टाफ के अनुपस्थित रहने की स्थिति में, न्‍यूनतम मजदूरी अधिनियम ------ में दी गई दैनिक दर से दुगूने दर पर राशि विवेकानुसार मासिक प्रभारों में से काटी जाएगी । सिडबी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय ठेकेदार द्वारा रखे गए मस्‍टर रोल या मजदूरी पत्रक की जांच करे ।

(iii) **सावधानी न बरतने हेतु दंड**

1. ठेकेदार समयसीमा के भीतर किसी शिकायत को दूर न करने के कारणों को दर्ज करने हेतु एक समुचित अभिलेख / रजिस्‍टर रखेगा, ऐसा न किए जाने पर उपयुक्‍त दंड लगाया जाएगा ।
2. विभिन्‍न कार्यों के पूर्ण करने हेतु संभावित समय 24 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए ।
3. साथ ही, कार्यक्षेत्र में इंगित दैनंदिन गतिविधियों को पूरा न करने पर रु.500/- (न्‍यूनतम) की राशि ऐसी प्रत्‍येक घटना पर दंड के रूप में प्रभारित होगी । ऐसे मामलों में निर्णय हेतु महाप्रबंधक, प्रशिक्षण केन्‍द्र अंतिम प्राधिकारी होंगे, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है ।
4. कार्य की आ‍कस्मिकता होने पर, कार्यसमय के बाद किए गए कार्य हेतु अतिरिक्‍त भुगतान उद्धृत की गई दरों के समानुपातिक आधार पर किया जाएगा ।

(ड) वस्‍तु को बदलने की लागत का भुगतान, जहां भी लागू हो, केवल बैंक द्वारा जारी मंजूर कार्यस्लिप पर ही ठेकेदार को किया जाएगा । यदि कोई वस्‍तु बिना समुचित मंजूरी के बदली जाती है, तो उसके भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(च) किसी विशिष्‍ट वस्‍तु को बदलने की जरूरत का निर्धारण बैंक के नामित स्‍टाफ द्वारा किया जाएगा तथा ठेकेदार उस कार्य को बिना किसी विवाद के करेगा ।

(छ) ठेकेदार शिकायतें प्राप्‍त करने, विधिवत रूप से मंजूर कार्यस्लिप प्राप्‍त करने और बिल बनाने आदि हेतु ऐसे नियत फार्मेट/प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा, जैसे कि बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएं .

**अनुलग्नक I का परिशिष्ट**

**सिडबी प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर में इलेक्ट्रोमेकेनिकल संस्थापना के लिए वार्षिक परिचालन तथा रख़रखाव संविदा प्रदान करने की शर्तें**

**भाग – I**

**तकनीकी बोली के लिए प्रारूप**

प्रेषक.........................................................................................................................................................

प्रेषिति

**महाप्रबंधक,**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,सिडबी एमएसएमई इंटर्नेशनल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट.ओ सी एच एस बिल्डिंग, चौथी मंजिल,जनपथ, यूनिट-3,भुवनेश्वर

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **विवरण** | **एजेंसी द्वारा भरे जाने वाले विवरण** |
| 1 | एजेंसी का नाम / सम्पर्क व्यक्ति |  |
| 2 | एजेंसी का भुवनेश्वर स्थित पंजीकृत कार्यालय/व्यवसाय पता / मोबाइल अथवा टेलिफोन नम्बर |  |
| 3 | निगमीकरण/ संस्थापन की तिथि |  |
| 4 | एजेंसी का PAN नम्बर |  |
| 5 | सेवा कर पंजीकरण नम्बर |  |
| 6 | क्या रजिस्टरार आफ कम्पनीज में पंजीकृत है? **(पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)/ यदि साझीदारी फर्म है तो साझीदारी विलेख संलग्न करें** |  |
| 7 | क्या एजेंसी के पास ऐसी सेवाएं प्रदान करने का 5 वर्षों का अनुभव है, विशेष रूप से प्रतिष्ठित संगठनों जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / उपक्रम और निजी क्षेत्र की बडी कम्पनियां |  |
| 8 | क्या श्रम विभाग के साथ पंजीकृत है? पंजीकरण की तिथि **(पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)** |  |
| 9 | क्या सेवा कर के लिए केन्द्रीय तथा उत्पाद विभाग के साथ पंजीकृत है? **(पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)** |  |
| 10 | क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एजेंसी ने 50 लाख की औसत कुल बिक्री प्राप्त की है **(संबधित वर्ष के लाभ व हानि खाते की प्रति संलग्न करें)** |  |
| 11 | क्या एजेंसी कर निर्धारिती है और निर्धारण वर्ष 2010, 2011 तथा 2012 के लिए आय कर विवरणीयां जमा की है **(सभी तीनों वर्षों के लिए आय कर विवरणियों की प्रतियां संलग्न करें)** |  |
| 12 | क्या एजेंसी ने पिछ्ले 3 वर्षों में इसी प्रकार का रू. 8 लाख प्रति वर्ष की लागत वाला न्यूनतम 1 कार्य या रू. 5 लाख की लागत वाले न्यूनतम 2 कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हैं **(ग्राहक से वर्क आर्डर या कम्पलीशन लैटर की प्रति संलग्न करें)** |  |

मैं / हम बैंक द्वारा निर्धारित तथा अनुलग्नक I के परिशिष्ट में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

**हस्ताक्षरदिनांक: एजेंसी का नाम व मुहर**

(यह प्रारूप पृथक मुहरबन्द लिफाफे में ऊपर **“सिडबी एमएसएमई इंटर्नेशनल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रोमैकेनिकल के वार्षिक परिचालन एवं रखरखाव संविदा के लिए तकनीकी बोली”** लिखकर भेजा जाए)

**भाग – II**

**वित्तीय बोली के लिए प्ररूप**

प्रेषक.........................................................................................................................................................

प्रेषिति

**महाप्रबंधक,**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,सिडबी एमएसएमई इंटर्नेशनल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट.ओ सी एच एस बिल्डिंग, चौथी मंजिल,जनपथ, यूनिट-3,भुवनेश्वर

1. ठेकेदार/फर्म का नाम \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. पत्राचार के लिए पता \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. सम्पर्क व्यक्ति का नाम तथा टेलिफोन नम्बर\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.स.** | **विवरण** | **राशि** |
| 1 | आवरण नोट में वर्णित कार्य के विस्तार को देखने के लिए प्रशिक्षण संस्थान में इलेक्ट्रोमैकेनिकल के वार्षिक परिचालन एवं रखरखाव के लिए एक-मुश्त मासिक प्रभार |  |
|  |  |  |

शब्दों में कुल मासिक राशि रूपये ----------

**नोट करें:**(क) ठेकेदार उसके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मियों को समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान करेगा।(ख) उद्धरित राशि में लागू सांविधिक भुगतान जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, उपदान, बोनस, सेवा कर, अन्य सभी कर आदि शामिल होंगे। ठेकेदार राशि उद्धरित करते समय, संविदा की अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य करों के संभावित संशोधन को ध्यान में रखेगा।(ग) ठेकेदार नियमित कार्यों के संतोषजनक निष्पादन के लिए अपने स्टाफ को सुरक्षा जूतों के साथ उचित वर्दी, सामान्य औजार व साज-सामान, जांच उपकरण मुहैय्या करवाएगा।(घ) संविदा अवधि के दौरान, उद्धरित राशि में किसी प्रकार का मूल्य परिवर्तन नहीं होगा।(ड.) संस्थान में वार्षिक रखरखाव संविदा कार्य के लिए नियुक्त कर्मी 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए।

(च) अतिरिक्त व्यक्तियों (हेल्पर) की स्थिति में, ठेकेदार को बैंक के पूर्वानुमोदन के आधार पर, रू. 300/- प्रति दिन की राशि दी जाएगी।(छ) सशर्त निविदाओं को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

मैनें/हमने उक्त कार्यों के लिए निविदा के कार्य के विस्तार तथा शर्तों की जांच की है। यदि यह निविदा सिडबी द्वारा स्वीकृत की जाती है तो, मैं/हम एतदद्वारा, निविदा की शर्तों के अनुसार कार्यों के निष्पादन की सहमति प्रदान करते हैं। हमें ज्ञात है कि सभी भुगतान उस समय लागू टीडीएस की शर्त पर होंगे।

दिनांक (**फर्म/ठेकेदार की कार्यालय मुहर के साथ अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा नाम)**

(यह प्ररूप पृथक मुहरबन्द लिफाफे में ऊपर **“सिडबी एमएसएमई इंटर्नेशनल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रोमैकेनिकल के वार्षिक परिचालन एवं रखरखाव संविदा के लिए वित्तीय बोली”** लिखकर भेजा जाए)

**अनुलग्नक – II**

ठेकेदार की यह पूरी जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि परिचालन, निगरानी, रखरखाव तथा मरम्मत उच्चतम मानदण्डों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं:

* स्थानीय सांविधिक प्राधिकरणों तथा सेवा प्रदान करने वालों जैसे सीईएसयू, बीएसएनएल आदि को भुगतान जमा करवाना।
* लिफ्ट के सहज परिचालन का समन्वय तथा मेसर्स शिनडलर के साथ समन्वय
* सोमवार से शनिवार को कार्यघण्टों (6.00 प्रात: से 10.00 रात्रि तक) या निर्देश दिए जाने पर बिल्डिंग के वातानुकूलन सिस्टम का परिचालन एवं निगरानी और मेसर्स ब्लू स्टार / एएमसी एजेंसी के साथ समन्वयन ।
* इलेक्ट्रिकल पेनल्स, केपेसीटर पेनल्स तथा अन्य संस्थापनों की निगरानी।
* अनुभवी तथा योग्यताप्राप्त स्टाफ की नियुक्ति द्वारा बिल्डिंग के डीजल जनरेटर सेट, वाटर पम्प, संबंधित सेट-अप का परिचालन, जिसमें परीक्षण भी शामिल है, तथा मेसर्स महिन्दरा / एएमसी एजेंसी के साथ समन्वयन ।
* सौर ऊर्जा पेनल्स / संस्थापन तथा सौर जल हीटरों का परिचालन तथा निगरानी।
* कार्य विस्तार में सिडबी के निर्णय के अनुसार उपयोगी हालत में न रहने पर स्विच, साकेट (पावर/टेलिफोन/डाटा), आंतरिक/बाह्य फिटिंग्स, चोक सहित लिफ्ट लाइटस, आंतरिक लाइटिंग के लिए केपेसिटर्स, फ्यूज, लैम्प, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फिटिंग्स अर्थात एमबी / ईएलसीबी / एमसीबी (सभी प्रकार की क्षमता वाले) को बदलना शामिल है। बदले गए अनुपयोगी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की लागत जैसे लैम्प/ट्यूब्स. ईलसीबी, एमसीबी, स्विचस, साकेट्स की लागत बिल / बीजक प्रस्तुत करने पर और बाजार में दरों की जांच के पश्चात एवं उचित परिवहन किराए के साथ प्रतिपूर्ति की जाएगी। अन्य कोई प्रभार जैसेकि मजदूरी, हैंडलिंग आदि अदा नहीं किए जाएंगे। तथापि, ठेकेदार को सामान बदलने से पूर्व सिडबी से आवश्यक अनुमोदन लेना होगा। ठेकेदार को उपभोज्य जैसेकि टेप्स, केपेसिटर्स, फयूज, ड्रिलिंग बिट्स आदि के रू. 100/- प्रति कार्य के प्रभार स्वयं वहन करने होगे।
* उपर्युक्त गतिविधियों के लिए सिडबी के अनुमोदन के साथ उचित शेड्यूल व रिकार्ड / गुणवत्ता प्रबंधन फार्म / कार्य रजिस्टर रखने होंगे। इस उद्देश्य के लिए सभी स्टेशनरी / फोटोकापी आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी। ठेकेदार कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक औजार तथा उपकरण अपने श्रमिकों को स्वयं देगा।
* **सेवाओं का विस्तार**

1. **लिफ्ट परिचालन**
2. जब भी आवश्यकता हो, एलिवेटर का परिचालन
3. आंगतुकों की गतिविधियों की निगरानी
4. सामान के आने-जाने की निगरानी तथा यह सुनिश्चित करना कि सामान से एलिवेटर को कोई क्षति न पंहुचे।
5. आपातकालीन परिस्थितियों को संभालना
6. यह सुनिश्चित करना कि एलिवेटर का भारी सामान ले जाने के लिए दुरुपयोग न हो
7. **इलेक्ट्रिकल संस्थापना कार्य**

**अर्थिंग**

**क-1 आवश्यकता**

i) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निम्नलिखित उपकरणों की अर्थिंग हो: 1) सभी मेटेलिक कंडकटर एनक्लोजर

2) निम्नलिखित किसी भी स्थितियों में, अचल उपकरण के खुले करंट न ले जाने वाले मेटल पार्टस, जिनकी अर्थिंग की जानी है क) जहाँ उपकरण की आपूर्ति मेटल से लिपटी वायरिंग में की गई है।

ख) जहाँ उपकरण गीली जगह पर स्थित है तथा पृथक नहीं है।

ग) जहाँ उपकरण किसी व्यक्ति की पंहुच में है, जो जमीन की सतह या वस्तु के सम्पर्क में आ सकता है।घ ) जहाँ उपकरण जमीन पर खडे व्यक्ति की पंहुच में आ सकता है।ङ ) जहाँ उपकरण जोखिम वाले स्थान पर है।

ii) सब-स्टेशन में इलेक्ट्रिकल उपकरण के सभी मेटल एनक्लोजर की प्रभावी रूप से अर्थिंग की जाएगी।

iii) भूमिगत केबल पर काम आरंभ करने से पूर्व, सभी कंडकटरों को प्रभावी रूप से डिसचार्ज किया जाएगा और इसके दोनों छोरों की अर्थिंग की जाएगी। बन्द केबलों की उपलब्ध साधनों से पहचान की जाएगी तथा निकटवर्तीं केबलों, यदि कोई हैं, को उपयुक्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

iv) स्थिर कंडेंसरों को आपूर्ति के स्रोत से अलग किया जाएगा, हटाया जाएगा तथा कार्य आरंभ करने से पूर्व अर्थिंग किया जाएगा। यदि वे चार्ज हैं तो उनसे भारी मात्रा में चिंगारी निकलेगी। पूरी तरह से डिसचार्ज करने के लिए, अर्थिंग छडे प्रयोग में लायी जाएंगी और इन्हे बारी-बारी से प्रत्येक टर्मिनल से जोडा जाएगा और इसे तब तक दोहराया जाएगा, जब तक चिंगारी बन्द नहीं हो जाती।

v) अर्थिंग के पिट में नियमित रूप से पानी डालना और उसकी प्रभाव / प्रतिरोधक क्षमता को परखना आदि।

**क-2 रखरखाव**

i) अर्थिंग यंत्र पहले इस उद्देश्य के लिए दिए गए एक प्रभावी अर्थ से जोडा जाएगा और अर्थिंग यंत्र को अन्य छोर को अर्थिंग किए जाने वाले उपस्कर के कंडकटर से जोडा जाएगा। अर्थ यंत्र को हटाने के प्रक्रिया अर्थिंग लगाने के विपरीत होगी।ii) सब-स्टेशन, वितरण स्टेशनों आदि में सभी इलेक्ट्रिकल उपस्करों व उपकरणॉं की अर्थिंग की समय-समय पर जाँच तथा निरीक्षण किया जाएगा। सामान्यत: अर्थिंग की निरंतरता की जांच करने के लिए एक मेग्गर टेस्ट पर्याप्त है और छह माह में एक बार किया जाएगा। अर्थिंग की जांच के लिए तीन इलेक्ट्रोड पद्धति के लिए उपयुक्त अर्थ टेस्टर आवश्यकता अनुसार या स्थानीय नियमों के अनुसार प्रयोग में लाया जाएगा। जहाँ ऐसा नियम विद्यमान नहीं है, इसे दो वर्षों में एक बार किया जाएगा।

iii) इलेक्ट्रिक आपूर्ति लाइन या उपस्कर को ऊर्जा प्रदान करने से पूर्व सभी अर्थिंग सिस्टम्स की जांच की जाएगी ताकि कुशल अर्थिंग सुनिश्चित की जा सके।

IV) सिस्टम्स की अर्थिंग कम से कम वर्ष में दो बार, ड्राई मौसम में एक ड्राई दिन के दौरान की जाएगी।V) सिस्टम्स में सभी प्रकार की अर्थिंग कायम रखी जाएगी और यदि जाँच के दौरान, प्रतिरोधक क्षमता निर्धारित मूल्यों से अधिक पायी जाती है, दोषपूर्ण अर्थिंग को दुरुस्त करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क़्र.सं. | प्रतिस्थापन | अर्थ को अधिकतम प्रतिरोध क्षमता (ओम्स में) |
| 1 | सब-स्टेशन अर्थिंग स्टेशन | 2 |
| 2 | निम्न और मध्यम वोल्टेज स्थानीय वितरण सिस्टम के स्टील पोल्स और स्पोर्टस | 5 |
| 3 | 6.6केवी व 11 केवी ट्रांसमिशन लाईन स्पोर्ट | 5 |
| 4 | यू.पी.एस. / ई.पी.ए.बी.एक्स. | 1 |

vi) पाइप / प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग व्यवस्था के मामले में, अर्थ पाइप / प्लेट के आसपास की मिट्टी को स्थायी रूप से नम रखने के लिए माह में एक बार पानी की नली के माध्यम से तीन या चार बाल्टी पानी हौदी में डाला जाएगा।

vii) मैकेनिकल क्षति और क्षय की संभावना से, विशेष रूप से अर्थ एलेक्ट्रोड या अर्थ कांटीन्यूटी कंडकटर को कनेक्शन के समय, अर्थ वायर को बचाने का ध्यान रखा जाएगा। जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

viii) सभी अर्थिंग, इलेक्ट्रोड कनेक्शन की, जहाँ उपलब्ध हो, कठोरता को सुनिश्चित करने के लिए तथा किसी भी प्रकार के ह्रास के संकेतों की जाँच के लिए समय-समय पर विजुअल निरीक्षण किया जाएगा।

1. जहाँ प्रतिस्थापन की आपूर्ति लाइन के मेटल आवरण से अर्थिंग की गई है, इसकी समय-समय पर जांच की जाएगी कि अर्थ फाल्ट लूप संतोषजनक स्थिति में है।
2. निम्न प्रस्तुत प्ररूप के अनुसार की गई जांच के मासिक रिकार्ड रखे जाएंगे और जांच की दिनांक से 2 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए संभाल कर रखे जाएंगे।

अर्थिंग सिस्टम का रखरखाव

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| माह | स्टेशन को पानी दिया | सिस्टम की विजुअल जांच | मेग्गर जांच | टिप्पणी | इलेक्ट्रीशियन / ए.सी. व मेंटेनंस इंजिनियर के  आद्यक्षर |
| जनवरी |  |  |  |  |  |
| फरवरी |  |  |  |  |  |
| मार्च |  |  |  |  |  |
| अप्रैल |  |  |  |  |  |
| मई |  |  |  |  |  |
| जून |  |  |  |  |  |
| जुलाई |  |  |  |  |  |
| अगस्त |  |  |  |  |  |
| सितंबर |  |  |  |  |  |
| अक्तूबर |  |  |  |  |  |
| नवंबर |  |  |  |  |  |
| दिसंबर |  |  |  |  |  |

**बी) ट्रांसफार्मर / सब स्टेशन**

बी1) सुरक्षा उपाय तथा भौतिक निरीक्षण

कोई भी देख-रेख कार्य आरंभ करने से पहले ट्रांसफार्मर को आपूर्ति से अलग कर लिया जाएगा तथा टर्मिनल की अर्थिंग की जाएगी। देख-रेख कार्य के दौरान ट्रांसफार्मर के पास किसी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री नहीं रखी जाएगी। निम्नलिखित भौतिक निरीक्षण किया जाएगा -

i) बुशिंग - एचटी और एलटी साइड की बुशिंग की जांच की जाएगी ताकि यह देखा जा सके कि उनमें किसी प्रकार का क्रैक या चिप तो नहीं। छोटा-मोटा चिप नजरअंदाज किया जा सकता है, किंतु बड़े क्रैक की दशा में बुशिंग बदलना वांछनीय है। विनिर्माता की सलाह से बुशिंग का स्टॉक रखा जाएगा। बुशिंग की तिमाही आधार पर जाँच की जाएगी तथा उन्हें आवधिक रूप से साफ किया जाएगा।

ii) बाहरी संपर्क - सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संपर्क कसे हुए हों। यदि संपर्क पट्टियां काली व जंग-लगी दिखाई दें तथा उनमें क्रैक हों तो उन्हें हटाकर एमरी पेपर से साफ किया जाएगा तथा उन पर ग्रीस का भारी लेप लगाया जाएगा। यदि संपर्क पट्टी नीले रंग की है तो यह इस बात का संकेत है कि यह कुछ समय से गर्म है। इसका अर्थ है कि या तो संपर्क या कंडक्टर ढीला पड़़ गया है।

iii) केबलों की प्रत्यक्ष जांच एक दिन छोड़कर या किसी दिन अधिक लोड के समय, पर्याप्त ध्यान रखते हुए, छूकर की जाए ताकि सामान्य या असामान्य ताप पता चल सके।

iv) बाहरी तल से धूल मासिक आधार पर साफ की जाए।

v) वाइंडिंग तापमान दैनिक आधार पर जांचा जाए (जब संकेतक दिया गया हो)।

vi) तारों को साफ कर वातायन पथ, जिससे ठंडी हवा निकलती है, से जमी गर्द हटा दी जाए।

vii) सामान्य - संपर्क केबल की साइडों की सामान्य बाहरी हालत, केबलों के जोड़ बॉक्स आदि छमाही रुप से जांचे जाएंगे।

viii) न्यूट्रल अर्थिंग वाले ट्रांसफार्मर की विशेषकर अर्थिंग निरंतरता तथा मैटल स्ट्क्चर की सामान्य अर्थिंग वार्षिक रूप से जांची जाएगी। अर्थिंग परीक्षण परिणाम का रिकार्ड रखा जाएगा।

ix) ट्रांसफार्मर की रीडिंग के लिए एक लॉग बुक रखी जाएगी।

x) यदि किसी प्रकार का ओवरलोड हुआ तो वह केवल विनिर्माता के मानक के अनुसार विशेष अवधि के लिए तथा शेष अवधि के अंकित लोड के अनुसार होगा।

**सी) सब स्टेशन तथा आंतरिक इलेक्ट्रिकल संस्थापनाएं -**

जीवन व सामग्री की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गए अनुसार विविध जांच की जाएगी -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| i) | क्षेत्र की सामान्य देखरेख के अंतर्गत विसंगत सामग्री जैसे कागज, रद्दी, तेल/ग्रीस तथा अन्य ज्वलनशील सामग्री का जमाव रोकना | साप्ताहिक |
| ii) | तेल के रिसाव की जांच के लिए ट्रांसफार्मर टैंक, तेल सर्किट ब्रेकर व अन्य तेल ले जाने वाले उपकरणों का सत्यापन। | मासिक |
| iii) | तेल निकासी प्रणाली जिसमे पाइपिंग व सोक गड्ढा, जहां दिया गया है, भी शामिल है, की प्रभावकारिता | छमाही |
| iv) | संबंधित वातावरण को स्टिमुलेट कर सभी ट्रिप सर्किटों, रिले व वोलमीटरों व अमीटरों जैसे उपकरणों के परिचालन की जांच | छमाही |
| v) | आंतरिक वायरिंग में सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल ब्रेकरों की जांच व सभी ढीले कनक्शनों को कसना (यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी समय कंट्रोल व सेफ्टियां (ट्रिप) सर्किट बाइपास न हों। | छमाही |
| vi) | मुख्य बोर्डों , स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन व राइजिंग मेन्स, आदि की टूटफूट को रोकने के लिए | छमाही |
| vii) | डीबी, स्विचबोर्डों के मुख्य बोर्डों, आदि की केबलों के सभी आंतरिक कनेक्शनों को कसना | छमाही |
| viii) | लाइट फिक्सचरों के चोकों, होल्डरों, आंतरिक वायरिंग, आदि में टूटफूट आदि की जांच | छमाही |
| ix) | पथ (कन्डुइट)/बैट/तारों/सहायक व्यवस्था से संबंधित पॉइंट वायरिंग की टूटफट की जांच | छमाही |
| x) | वायरिंग प्रणाली व उपकरणों का इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण | छमाही |
| xi) | सुरक्षात्मक फ्यूजों का अनुपयुक्त आकार जांचना | छमाही |
| xii) | यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी प्रकार की ओवर लोडिंग नहीं है, मेन्स, सबमेन्स व फीडर पॉइंट की लंबे टैस्टर से लोड जांच करना | छमाही |

**घ. इमरजैंसी लाइटें**

(i) उपयुक्त एकल फेज 230 वोल्ट आपूर्ति की उपलब्धता जांचने के लिए पावर प्लग पॉइंटों की जांच

(ii) विनिर्माता की मानक हिदायतें सख्ती से अमल में लाई जाएंगी।

**ड. स्विचगेयर, केबल व फिक्स्चर, आदि**

जब भी इलेक्ट्रिकल संस्थापनाओं पर अतिरिक्त लोड डाला जाता है तो यह जांचा जाएगा कि मेन स्विच, बस बार चैंबर, सब मेन केबल, सर्किट मेन, आदि पर ओवरलोड तो नहीं है।

स्विचगेयर, कैबल व फिक्सर, आदि के संबंध में की जाने वाली विभिन्न आवधिक जांचों का विवरण निम्नानुसार है:

**ड.1 बस बार चैंबर**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| i) | तापमान में असामान्य वृद्धि हेतु बाहरी निरीक्षण | साप्ताहिक |
| ii) | बस बार चैंबर की सफाई करना (धूल व अन्य विसंगत सामग्री हटाने के लिए) | छमाही |
| iii) | किसी प्रकार के कार्बन जमाव के लिए कॉपर बस बार की जांच | छमाही |
| iv) | निकासी जंपर कनैक्शन को कसना जिसमें, जहां जरूरी हो, पुन:सोल्डरिंग करना भी शामिल है | छमाही |
| v) | बस बार इन्सुलेटरों की टूटफूट/विफलता की जांच करना | छमाही |
| vi) | मग्गर परीक्षण (फेज व फेज टू अर्थ) | छमाही |

**ड.2 फिटिंग्स**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| i) | लाइटों (फ्लोरोसेंट, इनकेन्डेसेंट फिक्सचर) की भौतिक सफाई जिसमें बल्ब भी शामिल हैं। | छमाही |
| ii) | इन्सुलेशन, आदि के विफल होने के कारण हुई ओवरहीटिंग को देखने के लिए चोक आदि की जांच व जहां आवश्यक हो, खराब चोक को बदलना | छमाही |
| iii) | फिक्सचर के टर्मिनल कनेक्शन व आंतरिक वायरिंग की जांच | छमाही |

**ड.3 केबल व केबल जोड़**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| i) | तापमान में असामान्य वृद्धि व अन्य किसी भौतिक नुकसान को देखने हेतु केबल व केबल जोड़ का बाहरी निरीक्षण | तिमाही |
| ii) | बाइटुमिनस कम्पाउंड की हालत की जाच (पेपर इन्सुलेटड केबल के लिए जोड़ होने की स्थिति में) | तिमाही |
| iii) | फेज व फेज टू अर्थ के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध  के लिए मेग्गर परीक्षण | छमाही |
| iv) | केबल पर लोड की जांच (एंपीयर मीटर/टोंग टैस्टर से) | छमाही |

समस्या निराकरण चार्ट (इलेक्ट्रिकल)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **कंट्रोल** | **समस्या** | **संभावित कारण** | **ठीक करने के उपाय** |
| 1.संपर्क | चैटर | 1. कम वोल्टेज 2. कंट्रोल सर्किट में ढीला संपर्क 3. खराब या अनुपयुक्त कॉयल | वोल्टेज जांचें.। आरंभ के दौरान वोल्टेज में क्षणिक कमी की जांच करें। कॉयल वोल्टेज व रेटिंग जांचें।  पुश बटन स्टेशन (स्टाप बटन संपर्क), अनुषंगी स्विच संपर्क व ओरलोड रिले संपर्क जांचें। इनकी जांच टैस्ट लैंप से की जा सकती है। यदि कंट्रोल सर्कट संपर्क खराब हों तो संपर्कक इन संपर्कों को बाइपास करने पर ठीक से काम करेगा। देखें कि कंट्रोल सर्किट में ढीला संपर्क तो नहीं है। खराब कॉयल को बदल दें। कॉयल रेटिंग में सिस्टम की नाममात्र वोल्टेज बारंबारता अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए। |
|  | वैल्डिंग | 1. करंट की अधिकता के समय असामान्य   ii)कम वोल्टेज के कारण चुंबक सीलिंग न कर पाए  iii)श़ॉर्ट सर्किट | सिस्टम व सर्किट ब्रेकर जैसे अन्य उपकरणों में ग्राउंड्स व शार्ट्स जांचें।  वोलेटेज की स्थिति ठीक करें।  त्रुटी दूर करें व फ्यूज ब्रेकर के आकार की जांच करें। |
|  |  |
|  |  |
|  | शार्ट पुश बटन की अवधि तथा धूल व संपर्कों की डायरेक्ट ओवरहीटिंग | 1. फाइलिंग फॉर ड्रैसिंग 2. अपर्याप्त संपर्क दबाव , ढीले कनैक्शन आदि के कारण डिसकलर्ड संपर्क, ढीला कनैक्शन, आदि 3. अत्यधिक जॉगिंग या साइकलिंगiv) संपर्क सतह पर धूल या विसंगत सामग्री 4. शॉर्ट सर्किट 5. निरंतर ओवरलोड | सिलवर टिप्स फाइल न करें। डिसकलरेशन के रफ पॉट से टिप्स को कोई नुकसान नही होगा या उनकी कार्यक्षमता पर असर नही पड़ेगा ।संपर्क स्प्रिंग बदल दें, देखें कि कहीं संपर्ककैरियर विरूपित तो नहीं हो गया है या उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया है।  संपर्कों को साफ करें व कसें।  अत्यधिक जॉगिंग व साइकलिंग समाप्त करें।इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करेंब्रेकर का फ्यूज जांचें तथा खराबी दूर करें  देखें कि कहीं अत्यधिक मोटर लोड करंट तो नहीं |
| 2. कॉयल्स | खुला सर्किट | अधिक वोल्टज या खराबी के कारण मशीनी खराबी व कॉयल का जल जाना | ठीक से परिचालित व संग्रहीत करें । कॉयल्स को लीड्स से परिचालित न करें। कायल बदलें। |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | अत्यधिक गर्म कुंडल | i) अधिक वोल्टेज या उच्च परिवेश तापमान  ii) गलत कॉयल  iii) यांत्रिक क्षति के कारण शोर्टेड टर्न  iv) कम वोल्टेज के कारण सील करने में चुंबक की विफलता  v) विरामी  कॉयल काफी लंबे समय से सक्रिय होना | प्रयुक्ति और सर्किट की विधिवत जाँच करें , रेटिंग (वोल्टेज और आवृत्ति) की जाँच करें , यदि गलत हो तो  कॉयल बदलें , सही और नए कॉयल स्थापित करें.  कुंडल बदलें  प्रणाली के वोल्टेज को ठीक करें और और नए कॉयल स्थापित करें.  प्रयुक्ति की जाँच करें. |
| 3. चुंबक और अन्य यांत्रिक पुर्जे | पुराने और टूटे-फूटे पुर्जे | i) बहुत ज्यादा साइक्लिंग. धूल और गंदगी या यांत्रिक दुरुपयोग. | पुर्जा बदलें और क्षति के कारण को ठीक करें. |
|  | शोर करनेवाला चुंबक (घुरघुरानेवाला) | i) दोषपूर्ण कॉयल  ii)चुंबक सही ढंग से न बैठा होना  iii)चुंबक पर गंदगी, तेल या विसंगत सामग्री होना  iv) कम वोल्टेज. | कॉयल बदलें.  चुंबक असेंबली बदलें. घुरघुरानेवाले चुंबक कवच बदलें और 180 डिग्री से घुमाएँ.  चुंबक की सतहों को कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करें.  शुरू करते समय प्रणाली के वोल्टेज और वोल्टेज गिरावट की जाँच करें. |
|  | पिकअप करने और/या सील करने में विफलता | i) कम वोल्टेज.  ii) खुले या छोटे कॉयल  iii)गलत कॉयल  iv)तकनीकी अवरोध  v) नियंत्रण सर्किट में कमजोर संपर्क | शुरू करते समय प्रणाली के वोल्टेज और वोल्टेज गिरावट की जाँच करें.  कॉयल बदलें.  कॉयल की वोल्टेज रेटिंग की जाँच करें जिसमे प्रणाली के सांकेतिक वोल्टेज और आवृत्ति शामिल हों.  बिजली बंद करके, संपर्क और कवच असेंबली की मुक्त आवाजाही की जाँच करें. विसंगत सामग्री हटा दें या सम्पर्कक निकाल दें.  जाँच करें व ठीक करें. |
|  | ड्रॉप आउट की विफलता | i) पोल किनारों पर या तंत्र में चिपचिपा पदार्थ  ii) नियंत्रण सर्किट से वोल्टेज नहीं हटाया होना  iii) घिसे हुए या जंग लगे पुर्जे जो अवरोध करते हों, जैसे कॉयल से जुड़े संपर्क, आदि  iv) चुंबक पथ में हवा जाने की जगह की कमी के कारण अवशिष्ट चुंबकत्व.  v) स्टार्टर गलत तरीके लगा होना . | कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करें.  नियंत्रण सर्किट की जाँच करें.  सम्पर्कक बदल दें  संकुच बदल दें  स्थापना के निर्देश के अनुसार स्टार्टर पुन: लगाएं. |
| 4. ओवरलोड रिले | ट्रिपिंग | i)निरंतर ओवरलोड  ii)गलत हीटर, या परिवेश तापमान काफी बदलाव लाते हैं.  iii) मोटर और स्टार्टर का अलग परिवेश तापमान में होना  iv) मुख्य तारों के हीटर स्क्रू का ढीला कनेक्शन. | सामान्य, शॉर्ट्स या अत्यधिक मोटर करंट के लिए जाँच करें.  सही आकार के हीटर का चयन करें.  मोटर और स्टार्टर एक दूसरे के नजदीक स्थापित करें, दोनों के लिए तापमान एकसमान बनाएं या परिवेश भरपाई ओवरलोड का उपयोग करें.  साफ करें और कस दें.. |
|  | ट्रिप करने में विफलता | i) यांत्रिक बाइंडिंग, गंदगी जंग, आदि  ख) गलत हीटर या हीटर्स और छोड़े गए या जम्प तार का इस्तेमाल  iii) पहले शॉर्ट सर्किट से क्षतिग्रस्त रिले.  iv) मोटर और रिले भिन्न परिवेश तापमान में होना. | ओवरलोड और हीटर बदलें.  रेटिंग और हीटर तालिकाओं की जाँच करें और उचित हीटर लगाएं.  ओवरलोड रिले और हीटर बदलें.    मोटर और रिले एक दूसरे के नजदीक स्थापित करें, दोनों के लिए तापमान एकसमान बनाएं या परिवेश भरपाई ओवरलोड का उपयोग करें. |

**एफ ) डीजी सेट**

1) सप्ताह में एक बार यह जाँच अवश्य की जाए कि वे सही तरीके से काम करने की स्थिति में हैं या नहीं. डीजल का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए . साप्ताहिक निरीक्षण के विवरण / डीजल की खरीद और उसके उपयोग , आदि को दर्शाने के लिए एक लॉग बुक रखी जाए . डीजल खपत की मात्रा और जनरेटर सेट के चलने के समय की जाँच तिमाही आधार पर की जाए .

2) डीजी सेट की समय-समय पर सर्विसिंग के लिए एएमसी एजेंसी के साथ तालमेल रखना.

जी) अग्नि सुरक्षा प्रणाली

**तकनीकी कर्मीदल निम्नलिखित देखरेख और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे:**

**जी-1. वेट राइजर प्रणाली**

i) बम्बा वाल्व, नली, होज रील, फायर शाफ्ट की जाँच करें और साफ करें और, यदि आवश्यकता हो तो , तुरंत इनके पुर्जों को बदलें . पूरी प्रणाली को हर समय काम करने की स्थिति में बनाए रखें.

ii) फिटिंग, वाल्व, पाइपलाइनों, जोड़ों, एयर वाल्व पर विशेष ध्यान देते हुए किसी भी रिसाव के लिए प्रणाली का निरीक्षण किया जाए और यदि आवश्यक हो तो, उसे तुरंत ठीक किया जाए.

iii) डीजल इंजन चालित अग्नि पंप के ईंधन टैंक की जाँच करें और पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लॉग बुक बनाए रखें.

iv) उचित चार्ज , इलेक्ट्रोलाइट के स्तर और अच्छे टर्मिनल कनेक्शन के लिए बैटरी की जाँच करें और लॉग बुक बनाए रखें.

v) अग्निशमन प्रयोजनों के लिए स्थिर पानी की टंकी में पानी के स्तर की जाँच करें.

vi) सभी पंपों के स्वत: काम करने की जाँच करें और लॉग बुक बनाए रखें.

**साप्ताहिक**

i) ग्लैंड पिकिंग्स की जाँच

ii) प्रीमिंग टैंक में पानी के स्तर की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो , फिर से भरें.

iii) सभी धातु पुर्जों को घास से साफ किया जाना चाहिए.

**मासिक**

i) बम्बा प्रणाली के स्वत: संचालन की जाँच करें.

ii) सभी बम्बा वाल्व चलाएं और वाशर, प्लग, कपलिंग, नोजल, आदि की जांच करे.

1. सी.आई.. वाल्व की ग्लेंड पैकिंग की जाँच करें और यदि आवश्यक हो, समायोजित करें/बदल दें.

iv) कपलिंग, वाशर, प्लग और कैनवास जैकेट तथा रबर नली रील की घूमनेवाली व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए रबर होज नलियों की जांच करें.

**तिमाही**

i) वेट राइजर प्रणाली को अच्छी तरह से खाली कर दें. उसे आवश्यक दबाव के लिए सेट करें. कुशल प्रचालन के लिए हवा वाल्वों की जाँच करें. प्रेरक स्थितियों द्वारा विभिन्न दबाव स्विचों के परिचालन की जाँच करें. दबाव स्विचों के सभी संपर्क क्षेत्रों को साफ करें.

ii) नली रीलों को पूरी तरह से उतारें. पानी को रबर टयूबिंग / कैनवास नली के माध्यम से बहने दें. उनमे रिसाव की जाँच करें, धोएं और सूर्य की किरणों को उनपर सीधे न पड़ने देते हुए सुखाएं. नली रीलों को पुनः लपेटकर ठीक से रोल बनाएँ. पुन: रोलिंग से पहले रबर टयूबिंग पर फ्रेंच चाक पाउडर लगाएं.

छमाही

i) **स्टार्टर और स्विच व मोटर की ओर से केबल के सभी संपर्कों और समाप्ति बिंदुओं की जाँच करें और सभी ढीले कनेक्शन कस लें.**

ii) **जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि सभी फ़्यूज़ अच्छी स्थिति में हों और संपर्क सतहें पिटिंग से मुक्त हों.**

iii) **प्रभावी इन्सुलेशन प्रतिरोध के लिए मेगर विद्युत प्रणाली.**

iv) **मोटर्स द्वारा लिए गए विद्युत की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि वह**  **निर्धारित सीमा से परे न हो.**

v) **उसकी प्रभावशीलता के लिए अर्थिंग प्रणाली की जाँच करें.**

vi) **सभी वाल्वों की सर्विसिंग करें.**

vii) **सक्शन पाइप, ग्राही और फुट वाल्व का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि वे अवरोधों, अपरिचित सामग्री, आदि से मुक्त हों.**

viii) **स्थिर जल भंडारण टंकियों को छमाही आधार पर साफ करें. ऎसी सफाई के दौरान उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलग से पर्याप्त जल भंडारण या स्टैंडबाय जल भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए.**

**वार्षिक**

i) एक परीक्षण गेज के साथ तुलना करके स्थापना गेज का परीक्षण करें.

**एच -1 स्प्रिंकलर प्रणाली**

**दैनंदिन :**

i) प्रणाली में पानी का अपेक्षित दबाव पाने के लिए, मुख्य नियंत्रक वाल्व की जाँच करें और फिटिंग, वाल्व, पाइपलाइनों, जोड़ों, वायु वाल्वों में किसी भी प्रकार के रिसाव का पता लगाएं.

ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी टैंक हर समय पूरे भरे रहें , स्थिर टैंक में पानी के स्तर की जाँच करें.

iii) दबाव गेज पर रीडिंग की मानक रीडिंग के संदर्भ में जाँच करें और लॉग बुक बनाए रखें.

iv) पाइपिंग, किसी भी क्षति, जंग, धूल और अन्य अपरिचित सामग्री, आदि से मुक्त है यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी सफाई व जाँच **करें .**

**साप्ताहिक**

i) प्रवाह की जांच - अलार्म डिवाइस. अलार्म डिवाइस के लिए पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करनेवाले छोटे वाल्व, खुली स्थिति में रहेंगे.

ii) गैंग बेल के परिचालन द्वारा अलार्म का परीक्षण करें.

iii) पंप, बेयरिंग, स्‍टफिंग बॉक्‍स, सक्‍शन पाइप तथा स्‍ट्रेनर्स की निर्भरता को सुनश्चित करने के लिए टेस्‍ट वॉल्‍व को खोलते हुए पंप शुरू करना।

मासिक

1. स्प्रिंकल ग्लास बल्‍बों को स्प्रिट से साफ़ करना।
2. इंस्‍टॉलेशन वाल्‍व की जांच व सर्विस करना।

तिमाही

1. स्प्रिंकल सिस्‍टम को अच्‍छी तरह से ड्रेन करना तथा उसे आवश्‍यक दबाव में सैट करना।

अर्धवार्षिक/छमाही

1. सक्‍शन पाइप, इन्‍टेक और फुट-वाल्‍व का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उनमें कोई रुकावट/अवरोध, बाहरी पदार्थ, आदि नहीं हैं।
2. टंकियों को अच्‍छी तरह से साफ़ करना।
3. स्प्रिंकल हैड का एक्‍चुएटिंग करके सिस्‍टम की जांच करना।
4. इंस्‍टालेशन के समय एक परीक्षण गेज़ से तुलना करके सभी गेज़ की जांच करना।

प्रेशर स्विचों, पंपों तथा अन्‍य समकक्ष उपकरणों के लिए वेट राइज़र सिस्‍टम के केस में सूचिबद्ध किए गए अनुदेश लागू होंगे।

एच-2 अग्निशमन/फ़ायर ब्रिगेडइन्‍लेट(ब्रीचर कनेक्‍शन)

अग्निशमन/फ़ायर ब्रिगेड इन्‍लेट्स को कंपाउंट/बिल्डिंग के बाहरी ओर सुविधाजनक स्‍थान पर उपलब्‍ध कराया गया है ताकि स्‍थानीय अग्नि इंजन बाहरी स्रोतों से लैपिंग करके इंस्टॉलेशन/टैंक में पानी पंप कर सकें।

नियमित कार्य

1. पानी इन्‍लेट्स की सफाई करना तथा उनमें होने वाली किसी भी क्षति की जांच करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि पानी-इन्‍लेट्स खाली कैप्‍स से कवर किए हुए हैं।

तिमाही

इन्‍लेट्स के माध्‍यम से दबाव/प्रेशर से पानी प्रवाहित करना। पाइप लाइन में होने वाली प्रत्‍येक लीकेज/रिसाव और नॉन-रिटर्न वाल्‍व की जांच करना।

एच-3अग्निशामक पंप की संस्‍थापना

अग्निशामक पंपों को चालू हालत में बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्‍यान में रखते हुए उनकी स्‍थापनाओं/इंस्‍टॉलेशनों की आवधिक आधार पर जांच-परख की जा रही है-

1. अग्निशमन पंप कक्ष/फ़ायर पंप रूम तक पहुँचने का मार्ग निकट होना चाहिए तथा पर्याप्‍त रूप से प्रकाश व्‍यवस्‍था होनी चाहिए।
2. आपातकाल में अग्निशमन पंप कक्ष/फ़ायर पंप रूम की चाबी आसानी से उपलब्‍ध हो जानी चाहिए।
3. अग्निशमन पंप कक्ष/फ़ायर पंप रूम पास में एवं स्‍वच्‍छ रखा जाए तथा उसका अन्‍य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। इस कक्ष में, ईंधन तथा ल्‍युब्रीकेंट्स, इंजन व पंप के भाग/स्‍पेयर्स के अलावा अन्‍य कोई सामग्री न रखी जाए। इस कमरे में एक आपातकालीन लैंप/प्रकाश व्‍यवस्‍था, जो कि अच्‍छी अवस्‍था में हो, हमेशा रखी जाए।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि ईंधन टैंक हमेशा भरा रहे तथा पंप रूम में टैंक की क्षमता के बराबर ईंधन का भंडारण करके रखा जाए। इंजन ऑइल की आवधिक आधार पर जांच की जानी चाहिए तथा यदि आवश्‍यक हो तो उसे बदला जाना चाहिए। पंप का प्रचालन करने वाले व्‍यक्ति द्वारा ईंधन इंजन ऑइल की खपत तथा रसीदों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक लॉग बुक बना कर अद्यतन रखी जाए।
5. यदि किसी दिन पंप काम न करे, तो उसकी मरम्‍मत के लिए तत्‍काल कार्रवाई की जाए और उसे ठीक करके कार्य-अवस्‍था में लाया जाए। पंप के खराब अवस्‍था में रहने का समय न्‍यूनतम हो।
6. पंप को प्रचालित करने का दायित्‍व निभाने वाले व्‍यक्ति को एक लॉग बुक बना कर रखनी चाहिए जिसमें फ़ायर पंप के चलने की तारीख व समय, उसमें आई खराबियों के विवरण तारीख और समय सहित, उसे ठीक करवाने की प्रक्रिया की तारीख व समय तथा उसके वापस प्रचालन की स्थिति में आने की तारीख व समय का रिकॉर्ड रखा जाए।
7. सभी लॉग बुक प्रति माह सहायक महाप्रबन्‍धक/उप महाप्रबन्‍धक के समक्ष प्रस्‍तुत की जाएं।
8. अग्निशमन उपकरणों तथा संस्‍थापनाओं/इंस्‍टॉलेशनों के परिचालन तथा रखरखाव के लिए यातायात सलाहकार समिति के अग्निशमन मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाओं का यथासंभव अधिकाधिक पालन किया जाए।

एच-4**.** अग्निशमन यंत्र/उपकरण

1. सभी अग्निशमन यंत्र/उपकरण के संदर्भ में-

तिमाही आधार पर कार्य -

* 1. बॉडी, हॉर्न तथा व्‍हील-लॉकिंग पिन की सफ़ाई करना
  2. उपकरण/यंत्र का वज़न करना। यदि उसमें भरे हुए पदार्थ का वज़न 10% से अधिक घट जाए तो उसे रिचार्ज करने के लिए भेजा जाए।
  3. उपकरण साफ़ करके उसकी वैक्‍स से पॉलिश की जाए।
  4. ट्यूब, हॉर्न, जोड़ों, लॉकिंग पिनों की जांच की जाए। ट्यूब पर बाहर से चॉक पाउडर लगाया जाए।

जब भी अग्निशमन यंत्र/उपकरण को रिचार्ज करने के लिए भेजा जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि गैस चार्जिंग कंपनी द्वारा उसके दबाव की भी जांच की जाए तथा दबाव 210 किग्रा/सेमी2 तक हो।

**ब) अन्‍य उपकरण/यंत्र, यदि कोई हों**

निर्माता द्वारा निर्धारित की गई विशिष्टियों के अनुसार आवधिक अनुरक्षण/रखरखाव किया जाए।

**सभी अग्निशमन यंत्रों/संस्‍थापनाओं को उपयुक्‍त सेवायोग्‍य व कारगर स्थिति में बना कर रखा जाए ताकि आपातकाल में उनका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।**

एच-5अग्नि-चेतावनी/फ़ायर अलार्म/सार्वजनिक सचेतक प्रणाली

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **विवरण** | **दैनिक आधार पर** | **तिमाही आधार पर** |
| **अग्नि चेतावनी/फ़ायर अलार्म प्रणाली** | |  |  |
| **1** | सभी अलार्मों की पहचान | जी हां |  |
| **2** | सप्‍लाई वोल्‍टेज फ़ेज़, न्‍यूट्रल फ़ेज़, अर्थ व न्‍यूट्रल अर्थ की जांच |  | जी हां |
| **3** | बैटरी वोल्‍टेज की जांच और इसके बैकअप को परिचालन हेतु तैयार रखना |  | जी हां |
| **4** | अग्नि व अन्‍य चेतावनी/अलार्म व्‍यवस्‍थाओं की जांच करना |  | जी हां |
| **5** | सभी हूटरों/घोषकों के कामकाज की जांच करना |  | जी हां |
| **6** | एएचयू के सभी इंटरलॉक तथा पहुँच-द्वार ठीक-से काम कर रहे हैं, इसकी जांच करके सुनिश्चित करना |  | जी हां |
| **7** | डिटेक्‍टरों की एनॉलॉग वेल्‍यू के आधार पर डिटेक्‍टरों की सफ़ाई करना |  | जी हां |
| **8** | सिस्‍टम के सभी डिटेक्‍टरों की सफ़ाई करना |  | जी हां |
| **सार्वजनिक सचेतक प्रणाली** | |  |  |
| **1** | सुनिश्चित करना कि एम्‍प्‍लीफ़ायर में विद्युत प्रवाह चालू है | जी हां | जी हां |
| **2** | एम्‍प्‍लीफ़ायरों के कार्यों की जांच करना |  | जी हां |
| **3** | सुनिश्चित करना कि म्‍युजिक वॉल्‍यूम अपेक्षित स्‍तर पर है |  | जी हां |
| **4** | स्‍पीकर ठीक-से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना |  | जी हां |
| **5** | सीडी चेंजर क कामकाज की जांच करना |  | जी हां |
| **6** | सीडी चेंजर के लेन्‍सों को साफ़ करना |  | जी हां |

**8.0** परिचालन अनुरक्षण/रखरखाव तथा मरम्‍मत रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग में लेने हेतु अनुशंसित प्ररूप/फ़ॉर्मेट

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र. सं. | प्ररूप/फ़ॉर्मेट का विवरण | अभ्‍युक्ति/रिमार्क |
| 1. | दैनिक रिपोर्ट | तकनीकी कर्मचारी द्वारा प्रस्‍तुत की जानी है |
| 2 | मासिक उपभोग/कलपुर्जे उपभोग संबंधी विवरणी | तकनीकी कर्मचारी द्वारा प्रति माही प्रस्‍तुत की जानी है |
| 3 | दैनिक उपस्थिति पत्रक | तकनीकी कर्मचारी द्वारा प्रति माही प्रस्‍तुत की जानी है |
| 4 | वार्षिक रखरखाव ठेके (एएमसी) के कार्यनिष्‍पादन का मासिक आधार पर मूल्‍यांकन | बैंक अधिकारी द्वारा जारी |

**आई**)  **सौर ऊर्जा तथा सौर जल तापन प्रणाली (सोलर वाटर हीटर सिस्‍टम) –**

आवधिक आधार पर सौर पैनलों की सफ़ाई करना। बैटरियों में जल-स्‍तर की जांच करना तथा आवश्‍यकतानुसार उसमें आसुत-जल (डिस्टिल्‍ड वॉटर) डालना। सौर जल-तापन/टंकियों की नियमित रूप से जांच करना तथा उसमें जल-आपूर्ति को विनियमित करना। सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई सभी विद्युत संस्‍थापनाओं/इंस्‍टॉलेशनों/लाइटों आदि की जांच करना तथा उनकी आवधिक आधार पर सर्विस करना।

**जे) जल आपूर्ति पंपों का परिचालन तथा उनका अनुरक्षण/रखरखाव–**

सभी जल-आपूर्ति पंपों, ट्यूबवैल को परिचालित करना तथा उनमें होने वाले रिसाव/लीकेज तथा अन्‍य किसी दोषों की जांच करना तथा उन्‍हें हमेशा चालू अवस्‍था में बनाए रखना।

\*\*\*\*\*

सिडबीएसआईटीआई सं. . / एएमसी नवम्‍बर , 2013

………..

………..

प्रिय महोदय,

सिडबी एमएसएमई अंतर्राष्‍ट्रीय प्रशिक्षण संस्‍थान, भुवनेश्‍वर में इलेक्‍ट्रोमेकेनिकल प्रतिस्‍थापना की वार्षिक परिचालन और रखरखाव का ठेका देने हेतु निविदा

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम उपरोक्‍त ठेके हेतु निविदा आमंत्रित करता है। निविदा दस्‍तावेज जिसमें प्रावरण नोट, पूर्व योग्‍यता मानदंड, निबंधन एवं शर्तें, तकनीकी बोली (भाग -I), वित्‍तीय बोली हेतु प्रारुप (भाग –II) संलग्‍न है।

हमें उपरोक्‍त कार्य करने हेतु आपके निविदा प्रस्‍तुत करने में प्रसन्‍नता होगी। निविदा दस्‍तावेज पर फर्म की ओर से व्‍यक्ति (यों) /ठेकेदार द्वारा प्रत्‍येक पृष्‍ठ पर हस्‍ताक्षर किया हुआ होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए आवश्‍यक प्रधिकार/मुख्‍तारनामा हो। अपूर्ण निविदा या निविदा जिसमें ईएमडी न लगा हो को बिना देरी के रद्द किया जाएगा। सिडबी बिना कोई कारण बताए कोई या सभी निविदा रद्द करने का अधिकार रखती है।

भवदीय

प्रबंधक

संलग्‍नक : यथोक्‍त